

संशोधित अंतिम डिक्री बमुकदमे इन्तदाई

[ऑर्डर 20, रूज 6-7, जाखा पीधानी]

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अवालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 20/2020

निर्णय दिनांक :- 23/02/21

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिर्मेशन कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह पेश होकर आदेश दिया
जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
136-राजस्व भू अधिनियम 1956 मली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एक एक
की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 38 में कुल 0.379 हेक्टर नहरी भूमि में दर्शन
कौर पत्नि बन्ता सिंह के स्थान पर निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर पत्नी बन्ता सिंह उर्फ बलवंत सिंह
अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 20/07/21 को यह पर्यां डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 266

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 30/07/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर